न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

अपील नामा0संख्या 03/24

GCMS NO-2024/ 12 सन् 2024

बउनवानीः– आम जनता श्यामपुरा जरियेः–

1. गौत्तम पुत्र गंगजी मीना निवासी श्यामपुरा तहसील सवाईमाधोपुर
2. रामखिलाडी पुत्र नाथूलाल मीना निवासी श्यामपुरा तहसील सवाईमाधोपुर

बनाम

1. इमरती चौधरी पत्नि टीकू सिंह चौधरी जाति जाट निवासी पनजी का बैरा महादेव नगर पाल रोड जोधपुर
2. सरकार जरिये तहसीलदार सवाईमाधोपुर

(अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा दर्ज फैसल नामा0 संख्या 2437 दिनांक 12.6.2023 वाके ग्राम श्यामपुरा तह0 सवाईमाधोपुर अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

उपस्थितः– 1. गिरीश मीना — वकील अपीलान्टगण

2. श्री श्याम मोहन शर्मा — वकील रेस्पो0 संख्या 1

–: निर्णय :– दिनांक 14.11.2024

अपील अपीलान्ट ने तहसीलदार सवाईमाधोपुर के द्वारा दर्ज फैसल नामा0 संख्या 2437 निर्णय दिनांक 12.6.2023 वाके ग्राम श्यामपुरा तहसील सवाईमाधोपुर के विरूद्ध इस कथन के साथ प्रस्तुत की गयी है कि अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधि विरूद्ध है जिसको खारिज फरमाया जावे।

अपील प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा मे दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो. की तलबी जरिये नोटिस की गयी एवं अदालत मातहत से सम्बन्धित मूल अभिलेख अवलोकन हेतु तलब किया गया।

तत्पश्चात बहस वकील उभयपक्ष सुनी गयी।

वकील अपीलान्ट ने दौराने बहस कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधि विरूद्व, क्षेत्राधिकार से बाहर गलत तथ्यो पर आधारित होने के कारण खारिज योग्य है। आदेश जैर अपील से संबंधित आराजीयात पर आम जनता का हित विद्यमान होने के कारण यह अपील आम जनता की ओर से पेश की जा रही है। उक्त नामा0 खोले जाने से पूर्व पटवारी हल्का द्वारा मौके पर जाकर कब्जे की जॉच नही की गयी ओर ना ही नामा0 को तस्दीक हेतु ग्राम पंचायत की कोरम में पेश किया गया तथा तहसीलदार द्वारा भी नामा0 खोलने के लिए 45 दिवस पूर्ण होने का इन्तजार नही किया गया है क्योकि 45 दिवस तक नामा0 खोलने का अधिकार ग्राम पंचायत को होता है इसके बाद तहसीलदार को नामा0 खोलने का अधिकार प्राप्त है किन्तु उक्त नामा0 45 दिन से पूर्व ही तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा मजमे आम मे नही खोलकर गुपचुप तरीके से खोला गया है। आदेश जैर अपील से संबंधित विवादित भूमि पर रेस्पो0 का कब्जा भी नही है। अतः विधि विरूद्व तरीके से दर्ज फैसल नामा0 खारिज किये जाने योग्य है। यह तर्क [illegible] आदेश जैर अपील की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 9.1.2024 को तहसील कार्यालय से [illegible] हुई है जानकारी से नकल प्राप्त होने पर बिना किसी देरी के अपील [illegible] मियाद मय धारा 5 के प्रार्थना पत्र के प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार आदेश जैर अपील खारिज किये जाने बाबत निवेदन किया [illegible]

Signature Not Verified

Digitally signed by Shubham Chaudhary

Date: 2025.06.25 17:59:35 IST

Reason: SelfAttested

(शुभम चौधरी)

जिला कलेक्टर

सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner

विद्वान वकील रेस्पो0 द्वारा दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नही है क्योकि विवादित नामा0 से संबंधित आराजीयात रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय की गयी है जिसका संबंधित पटवारी द्वारा नामा0 संख्या 2437 दिनांक 12.6.2023 को भरा गया जिसकी संबंधित आईएलआर द्वारा दिनांक 14.6.2024 को जॉच की गयी एवं दिनांक 14.6.2023 को महगाई राहत केम्प के दौरान तहसीलदार द्वारा तस्दीक किया गया है। यह तर्क भी दिया कि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय की गयी भूमि का नामा0 तस्दीक करते समय मौका देखा जाना अथवा कब्जे की जॉच किया जाना आवश्यक नही है। कथन के समर्थन में आरआरटी 2010(2) पेज संख्या 1317 पेश किया गया तथा न्यायिक दृष्टान्त आरआरटी 2012(1) पेज 238 पेश कर कथन किया कि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र किसी न्यायालय द्वारा शुन्य अथवा निष्प्रभावी घोषित नही किया गया है तथा राजस्व अभियान के दौरान तहसीलदार व ग्राम पंचायत को समवर्ती अधिकारिता है इसलिए आदेश जैर अपील मे तथ्य अथवा कानूनी त्रुटि नही है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज कर आदेश जैर अपील यथावत रखने बाबत वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा निवेदन किया।

विद्वान वकील उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्को को सुनने के पश्चात एवं सम्बन्धित पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुॅचती हूॅ, कि प्रथम तो वकील अपीलान्ट द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र की प्रति पत्रावली मे पेश नही की जाने के कारण दिनांक स्पष्ट नही है। उक्त नामा0 सें संबंधित भूमि पर आम जनता का किस प्रकार हित विद्यमान है प्रस्तुत तथ्यो से साबित नही होता है। नामा0 तस्दीक करने से पूर्व मौका देखा जाना आवश्यक नही होने बाबत किये गये कथन के समर्थन मे प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त इस प्रकरण पर बखूबी लागू होते है। यदि आदेश जैर अपील से संबंधित विक्रय पत्र धोखाधडी पूर्वक/ विधिविरूद्व तरीके से करवाया गया है तो उक्त विक्रय पत्र को निरस्त करवाने बाबत सक्षम न्यायालय मे जाना चाहिए। अपीलान्ट द्वारा पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही किया है जिसके आधार पर यह माना जा सके कि आदेश जैर अपील नामा0 संख्या 2437 के प्रकियाधीन रहते हुए अपीलान्ट द्वारा कोई आपत्ति तहसीलदार सवाईमाधोपुर के समक्ष पेश की गयी हो। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात/तथ्यों से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधिसम्मत पाया गया है जिसमे किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने की आवश्यकता प्रतीत नही होने के कारण अपील अपीलान्ट खारिज किया जाना उचित समझती हूॅ।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर आदेश जैर अपील यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 14.11.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Shubham Chaudhary
Date: 2025.06.25 17:59:35 IST
Reason: SelfAttested

(शुभम चौधरी)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner